



पत्रांक : कु0स0-2 B स0अ0 / 4964 / 05-478-2020 / 2023

दिनांक: 10 जून, 2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
बाबू राम सिंह महाविद्यालय,  
खाड़पाथर, मुर्धवा, रेनुकूट,  
सोनभद्र।

विषय : महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों के संचालन हेतु सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्रांक-कु0स0-2 B स0अ0/4315/05-478-2020/2021 दिनांक 14.09.2021 द्वारा कमियों के अभाव में प्रदान की गयी सम्बद्धता के क्रम में प्राप्त कराये गये अभिलेखों के सन्दर्भ में सूचित है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) एवं तद्विषयक विधायी अनुभाग-1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-975/79-1-14-1(क)/19/2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-37 एवं 38 में किए गये संशोधन के अनुसार महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन के स्थान पर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में अन्तर्गत/निहित किए जाने के फलस्वरूप सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-2527/सत्तर-2-2008-2 (166) 2002 दिनांक 10 जून, 2008 के अधीन गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 08.06.2023 की संस्तुति एवं मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में बाबू राम सिंह महाविद्यालय, खाड़पाथर, मुर्धवा, रेनुकूट, सोनभद्र को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में दिनांक 01.07.2023 से सम्बद्धता (स्थायी) की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. कार्य परिषद की स्वीकृति के उपरान्त आदेश को बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2023 से सम्बद्धता (स्थायी) माना जायेगा।
2. संस्था/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को 15 अगस्त तक इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
4. रिट याचिका सं0-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2 (650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 के साथ ही शासनादेश सं0-226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018 दिनांक 13.03.2020 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न किये गये अभिलेख भविष्य में इतर पाये जाने की स्थिति में सम्बंधित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद को तत्काल सूचित किया जायेगा जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन पूर्णतः उत्तरदायी होगा।